[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ] भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर,2017

संघ-राज्य क्षेत्र माल एवं सेवाकर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2017 आदेश 01/2017- संघ-राज्य क्षेत्र कर

का. आ. (अ).- जहाँ कि संघ-राज्य क्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) के प्रावधानों को लागू करने में कठिनाई आई है, जहां तक की इसका संबंध केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 10 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों से है;

अतः अब संघ-राज्य क्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा 26 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, एतत् द्वारा निम्नलिखित आदेश देती है, यथा

- 1. इस आदेश को संघ-राज्य क्षेत्र माल एवं सेवाकर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2017 कहा जाएगा।
- 2. कठिनाइयों के निवारण के लिए,-
- (i) एतत् द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी माल और/या केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की अनुसूची II के पैराग्राफ 6 के उप-वाक्य (ख) में संदर्भित सेवाओं की आपूर्ति करता है और ऐसी कोई छूट प्राप्त सेवाओं की भी आपूर्ति करता है, जिनमें वे सेवाएं भी आती हैं जोकि जमा, श्रण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती हैं, जहां तक ब्याज या छूट (डिस्काउंट) के माध्यम से प्रतिफल को व्यक्त किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत कम्पोजिसन स्कीम का तब तक अपात्र नहीं होगा जब तक की इसमें विनिर्दिष्ट अन्य सभी शर्तें पूरी न होती हों।
- (ii) आगे और भी यह स्पष्ट किया जाता है कि कम्पोजिसन स्कीम के लिए उसकी पात्रता का निर्धारण करने में उसके सकल कारोबार की गणना करने में किसी छूट प्राप्त सेवा की आपूर्ति के मूल्य को, जिसमें वे सेवाएं भी आती हों जोकि जमा, श्रण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती हैं जहां तक इसके प्रतिफल की अभिव्यक्ति ब्याज या छूट (डिस्काउंट) के माध्यम से हुआ हो, शामिल नहीं किया जाएगा।

[फा.सं. 354/173/2017-टीआरय्]

(रूचि विष्ट) अवर सचिव, भारत सरकार

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

Government of India Ministry of Finance (Department of Revenue)

New Delhi, the 13th October, 2017

THE UNION TERRITORY GOODS AND SERVICES TAX (REMOVAL OF DIFFICULTIES) ORDER, 2017

Order No. 01/2017-Union Territory Tax

S.O. (E). – Whereas, difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), in so far as it relates to the provisions of section 21 of the said Act read with section 10 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 26 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, the Central Government, hereby makes the following Order, namely: -

- 1. This Order may be called the Union Territory Goods and Services Tax (Removal of Difficulties) Order, 2017.
- 2. For the removal of difficulties,-
- (i) it is hereby clarified that if a person supplies goods and/or services referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 and also supplies any exempt services, including services by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, the said person shall not be ineligible for the composition scheme under section 10 of the said Act, subject to the fulfilment of all other conditions specified therein.
- (ii) it is further clarified that in computing his aggregate turnover in order to determine his eligibility for composition scheme, value of supply of any exempt services including services by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, shall not be taken into account.

[F. No. 354/173/2017-TRU]

(Ruchi Bisht)

Under Secretary to the Government of India